



GCMS
2020/00052
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणघरी तहसील सिणघरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री बुद्धू खां
हलका भूका वगतसिंह पुत्र श्री बुद्धू खां जाति कोशवाल
निवासी भूका वगतसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 49 दि. 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भूका वगतसिंह</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा <u>भूका वगतसिंह</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>1200</u> वं.फी. किस्म भूमि <u>डी.मु.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को वमुकाम सिणघरी में पेश हों। तहसीलदार सिणघरी जिला-बाड़मेर	
11-1-2021	पत्रावली पेश हुई और सायल उपास्थि। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु लैथपुर पधार है। पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है। 11-1-2021	 <u>बुद्धू खां</u>
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सायल उपास्थि। और सायल में लवाव हेतु शक्य चाहा और दिनांक 27-01-2021 को पेश है। तहसीलदार सिणघरी जिला-बाड़मेर	 <u>बुद्धू खां</u>

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपास्थि देकर जवाब देना सायल-बादा की दिशा जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछलीन सचिकारी आठ दिनांक 30-01-2021 पर पद्यारे है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपास्थि। गैर सायल को जवाब देना मसिठ अवलर दिशा जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपास्थि। गैर सायल को जवाब देना बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई बिधि सम्मत सायल प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को भविष्य में मानते हुए पत्रावली जैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाना शामिल पत्रावली है। पत्रावली सुमार देकर इफ्तार दाखिल है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर